रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221351
CG-DL-E-26082020-221351

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
No. 425] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 531(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा वर्णित, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त संशोधित विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

1. (1) इन विनियमों को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 में अनुसूची में,–

(i) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में सामान्य प्रशासन विभाग (प्रमुख प्रशासन) के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य प्रबंधक (प्रशा.) एवं सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–I में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विभाग या विधि विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान में पद धारित करने वाल अधिकारी पात्र होंगे'';

(ii) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में वित्त विभाग के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य प्रबंधक (वित्त) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–I में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे'';

(iii) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य प्रबंधक (मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, पैरा–I में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–I में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए,

(क) दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 90000–240000/–रू. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी;

(ख) किसी महापत्तन न्यास के मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मरीन विभाग (केवल मरीन इंजीनियरों के वर्गों के लिए लागू) में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे,–

(iv) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रचालन विभाग के श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य प्रबंधक (प्रचालन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–I में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रचानल विभाग में या किसी महापत्तन न्यास के यातायात विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे'';

(v) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में पत्तन नियोजन एवं विकास विभाग के श्रेणी–। पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य प्रबंधक (पीपी एवं डी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–। में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी भी महापत्तन न्यास के सिविल इंजिनीयरिंग या पत्तन नियोजन तथा विकास विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे'';

(vi) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग के श्रेणी–। पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–। में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000–220000/–रू. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे'';

(vii) ''जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में मरीन विभाग (डैक साइड) के श्रेणी–। पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, उप संरक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने –

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः –

''100000–260000/– रू. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000–280000/–रू. के वेतनमान में बढाया जाएगा)'';

(II) कॉलम 12 में, पैरा–। में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए,

(क) एक वर्ष की नियमित सेवा सहित 100000–260000/–रू. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाला अधिकारी; अथवा

(ख) दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 90000–240000/–रू. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी''

पाद टिप्पणीः मुख्य विनियम सा.का.नि. 43 (ई), दिनांक 21 जनवरी, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किया गया था :–

(i) सा.का.नि. 889 (ई), दिनांक 19 नवंबर, 2015;

(ii) सा.का.नि. 919 (ई), दिनांक 01 दिसंबर, 2015;

(iii) सा.का.नि. 150 (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2016;

(iv) सा.का.नि. 652 (ई), दिनांक 01 जुलाई, 2016;

(v) सा.का.नि. 662 (ई), दिनांक 05 जुलाई, 2016;

(vi) सा.का.नि. 1502 (ई), दिनांक 11 दिसंबर, 2017;

(vii) सा.का.नि. 1100 (ई), दिनांक 13 नवंबर, 2018 ; और

(viii) सा.का.नि. 6 (ई), दिनांक 04 जनवरी, 2019.

[फा. सं. पीआर–24021/9/2020 पीई–I]
विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020 made by the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule,-

(i) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (MAIN ADMN.) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 4 relating to the post of Chief Manager (Admn.) & Secy.,-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composite method, officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000—220000/- with three years regular service in the General Administration Department or Human Resource Department or Legal Department of a Major Port Trust shall be eligible.";

(ii) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 5 relating to the post of Chief Manager (Finance),-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composted method officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000—220000/- with three years regular service in the Finance Department of a Major Port Trust shall be eligible.";

(iii) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 5 relating to the post of Chief Manager (Mechanical and Electrical Engineering),-

(I) in column 5, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composite method,

(a) officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000—240000/- with two years regular service; or

(b) officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000—220000/- with three years regular service in the Mechanical and Electrical Engineering and Marine Department (applicable to categories of marine engineers only) of a Major Port Trust shall be eligible;

(iv) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF OPERATIONS DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 5 relating to the post of Chief Manager (Operations),-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composted method officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000—220000/- with three years regular service in the operations department of Jawaharlal Nehru Port Trust or Traffic Department of a Major Port Trust shall be eligible.";

(v) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PORT PLANNING & DEVELOPMENT DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 5 relating to the post of Chief Manager (PP&D),-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

" For absorption through composted method, officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000—220000/- with three years regular service in the Civil Engineering or Port Planning and Development Department of any Major Port Trust shall be eligible."

(vi) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MEDICAL DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 5 relating to the post of Chief Medical Officer,-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composted method, officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000—220000/- with three years regular service in the Medical Department in a Major Port Trust shall be eligible."

(vii) under the heading "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE DEPARTMENT (DECK SIDE) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST", against serial number 4 relating to the post of Deputy Conservator,-

(I) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Rs.100000—260000 /-(the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs. 120000—280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)";

(II) in column 12, for entries in para-I, the following entries shall be substituted, namely:-

"For absorption through composite method,-

(a) officer holding posts of Harbour Master in the scale of pay of Rs.100000—260000/- with one year regular service; or

(b) officers holding posts of Harbour Master with scale of pay of Rs. 90000—240000/- with two years regular service"

Footnote: The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 2011 and was subsequently amended *vide* number-

(i) G.S.R. 889(E), dated the 19th November, 2015;
(ii) G.S.R. 919(E), dated the 01st December, 2015;
(iii) G.S.R. 150(E), dated the 08th February, 2016;
(iv) G.S.R. 652(E), dated the 1st July, 2016;
(v) G.S.R. 662(E), dated the 5th July, 2016;
(vi) G.S.R. 1502(E), dated the 11th December, 2017;
(vii) G.S.R. 1100(E), dated the 13th November, 2018; and
(viii) G.S.R. 6(E), dated the 4th January, 2019.

[F. No. PR-24021/9/2020 PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA